

प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिमूचना

दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2010

सं. फा. 12/01/2010/प्र.सु./11140-11299/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-9-1997 के संकल्प संख्या फा. 04/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-7-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. के अनुसार संशोधित हुआ, के खण्ड 2 के अनुसार में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपमुख्यपाल, श्री आर. नारायणस्वामी को जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 1-11-2010 से 30-11-2012 या 65 वर्ष की आयु होने तक, जो भी इनमें पहले हो, उक्त संदर्भित संकल्प में यथानिर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्त करते हैं।

अरविन्द रे, प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th October, 2010

No. F.12/01/2010/AR/11140-11299/C.—In pursuance of Clause 2 of Government of National Capital Territory of Delhi's Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 25-9-1997 as amended vide Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-7-1998, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri. R. Narayanaswami as Chairman, Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi w.e.f. 1-11-2010 till 30-11-2012 or attaining the age of 65 years, whichever is earlier, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

ARVIND RAY, Pr. Secy. (AR)